प्रेस नोट　　　　पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद　　　　दिनांक 29.06.2025

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 03 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे/निशांदेही से भिन्न भिन्न कम्पनी की चोरी की 10 मोटरसाइकिल बरामद ।

दिनांक 28.06.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 03 शातिर वाहन चोर 1. शाहरुख पुत्र शफीक निवासी खुशहाल पार्क पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष 2. हसन पुत्र बदरुद्दीन निवासी दौलतनगर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष 3. अनस पुत्र केसर अंसारी निवासी दीप सिटी थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को दौलतनगर चौकी क्षेत्र पुस्ता से गिरफ्तार किया गया जिनके भिन्न भिन्न कम्पनी की चोरी की 10 मोटरसाइकिल बरामद हुई । बरामद मोटरसाइकिलों की चोरी के सम्बन्ध में थाना लोनी बार्डर, लोनी, कमिश्नरेट गाजियाबाद व ई-पुलिस स्टेशन एमवी थैफ्ट दिल्ली में अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध उपरोक्त बरामदगी के आधार पर सुसंगत धारा 317(2),317(5) में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने बताया कि हम सभी आपस में दोस्त हैं हमारा एक साथी दीपू पुत्र महेश निवासी अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद भी मोटरसाइकिल चोरी करने तथा चोरी की हुई मोटरसाइकिल को बिकवाने का काम करता है। हमारा साथी दीपू चोरी की मोटरसाईकिल बेचने की बात करने के लिए दिल्ली गया है। हम चारो पहले मोटरसाइकिल से घूमफिर कर रैकी करते हैं तथा फिर सही मौका पाकर मोटरसाइकिल में डुप्लीकेट एवं मास्टर चाबी लगाकर तथा लॉक को तोडकर चोरी कर लेते हैं। हम लोग अपना एक गैंग बनाकर फैक्ट्री एरिया ट्रोनिका सिटी, लोनी, लोनी बार्डर, अंकुर विहार व दिल्ली आदि क्षेत्र से चोरी करते हैं । चोरी की मोटरसाइकिलों को एक जगह मण्डौला के जंगल व घनी झाड़ियां में छिपा देते हैं और मौका देखकर हम लोग वाहनों को दिल्ली कबाडी बाजार में बेचकर पैसे कमाकर आपस में बांट लेते हैं। हमारे पास से जो मोटरसाइकिलें बरामद हुयी हैं वह हमने दिल्ली व लोनी क्षेत्र से चोरी की थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. शाहरुख पुत्र शफीक निवासी खुशहाल पार्क पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 26 वर्ष।
2. हसन पुत्र बदरुद्दीन निवासी दौलतनगर थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।
3. अनस पुत्र केसर अंसारी निवासी दीप सिटी थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष।

वांछित अभियुक्त का नाम व पता-

दीपू पुत्र महेश निवासी अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद

बरामदगी का विवरण-

1. स्पलेंडर रंग काला रजि नं DL6SBL9267(पंजीकृत अभियोग P.S. MV THEFT Delhi FIR NO.-005345/2025)

2. स्पलेंडर रंग काला रजि नं DL5SCC0865 (पंजीकृत अभियोग थाना लोनी बार्डर, कमि0 गा0बाद मु0अ0सं0-08/2024)
3. अपाचे रंग सफेद रजि0नं0 DL5SAX7439 (पंजीकृत अभियोग P.S. MV THEFT Delhi FIR NO.-01482/2025)
4. आर वन रंग लाल काला रजि0नं0 DL5SCF6350 (पंजीकृत अभियोग P.S. MV THEFT Delhi FIR NO.-010221/2025)
5. स्पलेंडर रंग काला रजि0नं0 DL5SBB9015 (पंजीकृत अभियोग P.S. MV THEFT Delhi FIR NO.-012730/2025)
6. स्पलेंडर रंग काला रजि0नं0 DL5SAL3041 (पंजीकृत अभियोग P.S. MV THEFT Delhi FIR NO.-008691/2025)
7. स्पलेंडर रंग काला रजि0नं0 DL5SCM2268 (पंजीकृत अभियोग P.S. MV THEFT Delhi FIR NO.-015348/2025)
8. FZS रंग हरा काला रजि0नं0 DL5SAP4072 (पंजीकृत अभियोग थाना लोनी, कमि0 गा0बाद मु0अ0सं0-132/2025)

9.स्पलेन्डर रंग काला रजि0नं0 DL5SAL3883

10.स्पलेन्डर रंग काला रजि0 नं0 UP13H5658

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी में चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद होने के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

शराब के ठेकों के आसपास/सार्वजनिक स्थानों पर गाड़ी में बैठकर एवं शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान

श्रीमान पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद महोदय के निर्देशानुसार कमिश्नरेट गाजियाबाद में शराब के ठेकों के आसपास/सार्वजनिक स्थानों पर गाड़ी में बैठकर एवं शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों एवं शराब के ठेकों के पास रेहड़ी लगाकर अण्डा, मांस-मछली आदि बेचने वालों के विरुद्ध दिनांक 28.06.2025 को समय 19.00 बजे से 21.00 बजे तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दृष्टिगत प्रमुख स्थानों/चौराहों पर पुलिस द्वारा ब्रीथ एनालाइजर का उपयोग कर सघन एवं प्रभावी चेकिंग करते हुए कुल 256 स्थानों पर 6490 व्यक्तियों को चेक किया गया तथा 1295 व्यक्तियों के विरुद्व आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए 1248 वाहनों के चालान अन्तर्गत एमवी एक्ट किये गए। शराब के ठेकों के आस- पास रेहड़ी/ठेला लगाकर अण्डा, मांस-मछली बेचने वाले 221 रेहड़ी/ठेलों को हटवाया गया तथा उनको सख्त हिदायत दी गई कि भविष्य में ठेकों के नजदीक अपनी रेहड़ी/ठेला नहीं लगायेगें।

अभियान के दौरान पुलिस द्वारा पूर्ण सावधानी बरती गई तथा जनता के साथ मधुर व्यवहार किया गया। यह अभियान आगे भी निरंतर रूप से जारी रहेगा।

अभियान के दौरान जोन-वार कृत कार्यवाही का विवरण

जोन	चेक किये गये स्थानों की सं0	चेक किये गये व्यक्तियों की सं0	कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई	चालान किए गए वाहनों की सं0	शराब के ठेको के आस पास से हटाये गये ठेलों आदि की सं0
नगर	40	892	231	33	63
ट्रांस हिंडन	42	2876	374	1215	53
ग्रामीण	174	2722	690	0	105
योग	**256**	**6490**	**1295**	**1248**	**221**

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा छेड़छाड़ करने व सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक फोटो वायरल करने के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 22.06.2025 को वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त समीर पुत्र नौशाद निवासी आमिर मेडीकल वाली गली 30-फुटा अशोक विहार लोनी गाजियाबाद द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री से छेडखानी करने व उसके आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धारा 75/77/352/351(2) बीएनएस व 7/8 पोक्सो एक्ट व 67 आईटीएक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 29.06.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त समीर पुत्र नौशाद निवासी आमिर मेडीकल वाली गली 30-फुटा अशोक विहार लोनी गाजियाबाद को मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना लोनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त समीर उपरोक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने वादी की नाबालिग पुत्री के साथ छेडछाड की थी तथा उसके आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

समीर पुत्र नौशाद निवासी आमिर मेडीकल वाली गली 30-फुटा अशोक विहार लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 18 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त घटना के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आज दिनांक 29.06.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान अभियुक्त नवजीत सिंह उर्फ निक्की पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी सी-60 गली न0-02 करावल नगर दिल्ली मूल पता – ग्राम शादीपुर पोस्ट बास्टा थाना चाँदपुर जिला बिजनौर उम्र करीब 28 वर्ष को संतनगर बिजलीघर डीएलएफ थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुई। बरामद मोटरसाइकिल के संबंध में पूर्व से थाना अंकुर विहार पर धारा 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत है। उक्त बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैंने यह मोटरसाइकिल डीएलएफ अंकुर विहार से चोरी थी तथा आज मैं इस मोटरसाइकिल को बेचने के लिए जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

नवजीत सिंह उर्फ निक्की पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी सी-60 गली न0-02 करावल नगर दिल्ली मूल पता – ग्राम शादीपुर पोस्ट बास्टा थाना चाँदपुर जिला बिजनौर उम्र करीब 28 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर चोरी का 01 अभियोग, आबकारी एक्ट का 01 अभियोग, थाना लोनी पर चोरी का 01 अभियोग , थाना कीरतपुर जनपद बिजनौर में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। (कुल अभियोग-04)। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।